रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092023-248480
CG-DL-E-01092023-248480

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 505] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 01, 2023/भाद्र 10, 1945
No. 505] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 01, 2023/BHADRA 10, 1945

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 01 सितम्बर, 2023

सा.का.नि. 645(अ).—केन्द्रीय सरकार कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम का प्रस्ताव करती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, तीस दिनों की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर, जो तीस दिनों की पूर्वोक्त अवधि के समाप्त होने से पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में, किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकेंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में आक्षेपों और सुझावों को संयुक्त सचिव (वनस्पति संरक्षण) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 अथवा jspp-dac@gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेजे जा सकते हैं।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कीटनाशी (छठा संशोधन) नियम, 2023 है।

(ii) यह राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कीटनाशी नियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 10 में, उप-नियम (3क) के खंड (iii) में:

(क) उपखंड (iii) में, पहले परन्तुक के बाद, निम्नलिखित परन्तुक को समाविष्ट किया जाएगा:

परन्तु यह कि कोई भी व्यक्ति जो केवल ग्लाइफोसेट और उसके संजातो का उपयोग करके कीट नियंत्रण कार्यों हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन करता है, उसे यथा निर्धारित संस्थानों में से किसी एक से विशेष रूप से ग्लाइफोसेट उपयोग के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा/उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।

[फा.सं. 13035/19/2019-पी.पी-I]

आशीष कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (पीपी)

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 1650 (अ), तारीख 19 अक्तूबर, 1971 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. सं. 315 (अ) दिनांक 26 अप्रैल, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधन किए गए।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 01 September, 2023

G.S.R. 645(E).—The following draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), is hereby published, as required by the said section, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rule shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public;

Objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rule before the expiry of the aforesaid period of thirty days will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions in respect to the said draft rule may be forwarded to the Joint Secretary (Plant Protection), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi-110 001 or through email at jspp-dac@gov.in.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Insecticides (Sixth Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Insecticides Rules, 1971 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 10, in clause (iii) of sub-rule (3A):

(a) In sub-clause (iii), after the first proviso, following proviso shall be inserted:

Provided that any person who applies for grant of license for the pest control operations using only Glyphosate and its derivatives must have passed 12th Standard/Higher Secondary Certificate examination or equivalent examination from a recognized Board or University with a training programme meant exclusively for Glyphosate usage from one of the institutes as prescribed.

[F. No. 13035/19/2019-PP-I]

ASHISH KUMAR SRIVASTAVA, Jt. Secy. (PP)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1650 (E), dated the 19th October, 1971 and was amended vide G.S.R 315 (E) dated 26th April, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.09.01 22:01:53 +05'30'